(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड–I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना संख्या 10 /2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 22 मई, 2018

विषयः वार्षिक औसत निर्यात दायित्व को कायम रखने के संबंध में ।

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा जनहित में प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

पैरा 5.19 के बाद, नया पैरा 5.19क को निम्नानुसार शामिल किया जाए:–

5.19कः वार्षिक औसत निर्यात दायित्व को कायम रखना

किसी वर्ष के दौरान ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के औसत निर्यात दायित्व पूर्ति के प्रति किए गए अतिरिक्त निर्यात का निर्यात दायित्व अवधि अथवा ब्लॉक अवधि जैसा भी मामला हो, के अन्य वर्ष (वर्षों) में किए गए औसत निर्यात दायित्व की किसी भी कमी को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि रोपित औसत निर्यात दायित्व यथा लागू ब्लॉक अवधि अथवा निर्यात दायित्व अवधि के भीतर समग्र आधार पर कायम रखा जाता हो।

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के संबंध में अन्य वर्ष (वर्षों) में किए गए अतिरिक्त निर्यात से प्रति संतुलित कर कुछ वर्ष (वर्षों) में वार्षिक औसत कायम न रखने पर छूट प्रदान की गई है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 18/15/एएम–19/पी–5 से जारी)